

बिहार सरकार
 अनु०जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग
 सं०-4 / निदे०पी०सी०आर०(विविध)02-12-13 / 2015-55

केन्द्र प्रायोजित
 योजना
 (50:50)

प्रेषक,

प्रेम सिंह मीणा,
 सरकार के सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार, बिहार,
 वीरचंद पटेल पथ, पटना।

पटना, दिनांक - 08.11.16

विषय:- वित्तीय वर्ष-2016-17 में केन्द्र प्रायोजित योजना (50:50) अन्तर्गत अनु० जाति और अनु० जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम-1989 एवं नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम-1955 के अधीन केन्द्रांश मद में ₹1,00,00,000/- (एक करोड़ रू०) एवं राज्यांश मद में ₹1,00,00,000/- (एक करोड़ रू०) अर्थात् कुल ₹2,00,00,000/- (दो करोड़ रू०) मात्र की स्वीकृति।

आदेश:- स्वीकृत।

2- विभागीय पत्रांक-08 दिनांक-29.04.2016 द्वारा बजट उपबन्ध के आलोक में केन्द्रांश मद में ₹5,00,00,000/- (पांच करोड़ रू०) एवं राज्यांश मद में ₹5,00,00,000/- (पांच करोड़ रू०) अर्थात् कुल ₹10,00,00,000/- (दस करोड़ रू०) मात्र की स्वीकृति दी गई है। इसी क्रम के केन्द्र सरकार के पत्रांक-11014/23/2012-पी०सी०आर० (डेस्क) दिनांक-14.09.2016 द्वारा वर्ष-2016-17 में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम-1989 (केन्द्र प्रायोजित योजना(50:50) के तहत राहत अनुदान के लिए केन्द्रांश मद में कुल ₹720.00 लाख (सात करोड़ बीस लाख रू०) मात्र विमुक्त की गयी है। जिसके आलोक में उपलब्ध बजट उपबन्ध एवं योजना उद्ध्य के अन्तर्गत केन्द्रांश मद में ₹1,00,00,000/- (एक करोड़ रू०) एवं राज्यांश मद में ₹1,00,00,000/- (एक करोड़ रू०) अर्थात् कुल ₹2,00,00,000/- (दो करोड़ रू०) मात्र की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

3. वर्तमान वित्तीय वर्ष 2016-17 में इस स्वीकृत राशि से आवंटन जिलों को मांग के आलोक में विमुक्त किया जायेगा।

3- इस राशि के लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित जिला के जिला पदाधिकारी होंगे, जो निकासी की गई राशि की व्यय की विवरणी प्रत्येक माह विभाग को भेजेंगे।

4- वे अनु० जाति और अनु० जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम-1989, संशोधन अधिनियम-2015, नियम-1995 एवं (संशोधन) नियम-2016 एवं नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम-1955 के धाराओं और नियमों के प्रावधानों के तहत अनु० जाति एवं अनु० जनजाति के पीडित व्यक्तियों को अत्याचार से राहत अनुदान की राशि अनुसूची और उपबन्ध-1[नियम-12(4)] में राहत राशि के लिए मापदण्ड के साथ-साथ नियम-12(4)(21) में मुख्य रूप से हत्या, मृत्यु, नरसंहार, बलात्कार, सामूहिक बलात्कार, स्थायी असमर्थता और डकैती के मामलों में पीडितों को भुगतान की जाने वाली राहत राशि के अतिरिक्त अत्याचार की तिथि से मृतक की प्रत्येक विधवा और/या अन्य आश्रितों को प्रति मास की दर से पेंशन भुगतान करेंगे एवं पीडित/पीडिता को (i) जागरूकता, (ii) प्रचार-प्रसार, (iii) वैधिक सहायता, (iv) यात्रा भत्ता, (v) दैनिक भत्ता, (vi) पीडित को राहत और पुनर्वास, (vii) पुलिस महानिरीक्षक (क०व०) के अधीन अनु० जाति और अनु० जनजाति संरक्षण कक्ष, (viii) सर्वेक्षण इत्यादि पर व्यय की स्वीकृति दी जा सकेगी।

5- राशि की स्वीकृति के तुरंत बाद ही जिला पदाधिकारी द्वारा अत्याचार राहत हेतु प्रदान की गई वित्तीय सहायता और फौजदारी मुकदमा के संबंध में की गई कार्रवाई की सूचना सरकार के पास विस्तारपूर्वक अपने मन्तव्य के साथ भेजेंगे। साथ ही उक्त प्रतिवेदन की एक प्रति प्रधान सचिव, गृह विभाग को भी उपलब्ध करायेंगे।

6- केन्द्रांश के लिए राशि मांग सं०-44 के योजना बजट मुख्य शीर्ष-“2225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण-उपमुख्य शीर्ष-01-अनुसूचित जातियों का कल्याण-लघु शीर्ष-277-शिक्षा-उपशीर्ष-0218-अनुसूचित जातियों के विकास हेतु स्कीम-विषय शीर्ष-3302-मुआवजा विपत्र कोड सं०-P2225012770218” से विकलनीय है।

राज्यांश के लिए मांग सं०-44 के योजना बजट मुख्य शीर्ष-“2225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण-उपमुख्य शीर्ष-01-अनुसूचित जातियों का कल्याण-लघु शीर्ष-277-शिक्षा-उपशीर्ष-0318-अनुसूचित जातियों के विकास हेतु स्कीम-विषय शीर्ष-3302-मुआवजा, विपत्र कोड सं०-P2225012770318” से विकलनीय है।

7- इन मदों के लिये निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी राशि की निकासी एवं व्यय वित्त विभाग द्वारा निर्गत परिपत्र पत्रांक-2561 दिनांक-17.4.98 तथा समय समय पर वित्त विभाग/राज्य सरकार द्वारा निर्गत अन्य परिपत्रों में निहित निदेशों के आलोक में किया जायेगा। इस योजना के नियंत्री पदाधिकारी निदेशक, अनु० जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग होंगे।

8- इस स्वीकृति के आलोक में निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा व्यय की गई राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र दिनांक-31-04-2017 तक विभाग को भेजेंगे एवं महालेखाकार से लेखा का सत्यापन कराकर प्रतिवेदन भेजेंगे।

9- इस राशि की स्वीकृति आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका सं०-4/निदे०पी०सी०आर०(विविध)०२-१२-१३/२०१५- के पृ०-30/टि० पर प्राप्त है।

10- इस राशि की स्वीकृति की सूचना सभी संबंधित पदाधिकारी को दी जा रही है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से ,



(प्रेम सिंह मीणा)

सरकार के सचिव।

ज्ञापांक-4/निदे०पी०सी०आर०(विविध)०२-१२-१३/२०१५- 55 पटना, दिनांक- 08.11.16

प्रतिलिपि : 1-वित्त विभाग, बजट शाखा/योजना एवं विकास विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2- प्रधान सचिव, गृह विभाग, बिहार, पटना/पुलिस महानिरीक्षक (क० व०) अपराध अनुसंधान विभाग बिहार पटना।

3- सभी प्रमंडलीय आयुक्त/निदेशक, अनु० जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग/सभी संबंधित जिला पदाधिकारी/सभी संबंधित उप विकास आयुक्त/सभी प्रमंडलीय उप निदेशक, कल्याण/अवर सचिव, प्रभारी, बजट शाखा, अनु० जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग/सहायक निदेशक (कम्प्यूटर), अनु० जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग/सभी जिला कल्याण पदाधिकारी/आई० टी० मैनेजर, अनु० जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।



सरकार के सचिव।

ज्ञापांक-4/निदे०पी०सी०आर०(विविध)०२-१२-१३/२०१५- 55 पटना, दिनांक- 08.11.16

प्रतिलिपि : सभी सम्बंधित कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।



सरकार के सचिव।

ज्ञापांक-4/निदे०पी०सी०आर०(विविध)०२-१२-१३/२०१५- 55 पटना, दिनांक- 08.11.16

प्रतिलिपि : संयुक्त सचिव, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, नई दिल्ली भारत सरकार के पत्रांक-11014/23/2012-पी०सी०आर० (डेस्क) दिनांक-14.09.2016 के आलोक में सूचनार्थ प्रेषित।



सरकार के सचिव।